उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 29-9-1984 को 10=30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1984 की पंचम बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थिति थे :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | श्री निर्मल मित्री | | अध्यक्ष |
| (2) | श्री राम पाल सिंह | | सदस्य |
| (3) | श्रीमती दीपा कौल | | सदस्या |
| (4) | श्री नौनिहाल सिंह | | सदस्य |
| (5) | श्री साऊ राम | संयुक्त सचिव, आवास<br>(सचिव, आवास के प्रतिनिधि) | |
| (6) | श्री शिव कुमार शर्मा | प्रबन्ध निदेशक, जल निगम | सदस्य |
| (7) | श्री प्रेम नारायन | संयुक्त सचिव, वित्त<br>(सचिव, वित्त के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| (8) | श्री आर०के०सिंह | अपर महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो | विशेष आमंत्री |
| (9) | श्री श्याम सूरी | आवास आयुक्त | सदस्य |

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर निर्णय लिये गये:-

| क्रमांक | विषय | संकल्प सं0 | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1- | दिनांक 30-8-84 की हुई बैठक के कार्य वृत्त की पुष्टि | पंचम/(1)/84 | परिषद की दिनांक 30-7-84 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी । |
| 2- | परिषद की बैठक दिनांक | पंचम/(2)/84 | परिषद द्वारा दिनांक 30-7-84 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वियन से संबंधित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-<br>1- बैठक में बताया गया कि मुरादाबाद में पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया अनाधिकृत अध्यासन समाप्त हो गया है। अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों ने अभी हाल में कई आवास गृह खाली किये है किन्तु शेष अब भी उन्हीं के कब्जे में है। किराये की अदायगी के बारे में शासन का निर्णय प्रतीक्षित है। निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी में लाने हेतु एक स्वत: स्पष्ट पत्र का आलेख्य अध्यक्ष महोदय की ओर से तैयार किया जाय जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया जाये कि वह अपने स्तर पर संबंधित अधिकारियों की शीघ्र बैठक कराके इस समस्या का निराकरण करायें ।<br>2- परिषद की इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत 80 मध्यम आय वर्ग एम0एस0/75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के संदर्भ में बताया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। निर्णय लिया गया कि |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | परीक्षण शीघ्र कराके विस्तृत आख्या परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखी जाये । |
| 3- | बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्व पूर्ण कार्यकलापों के संबंध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार । | पंचम/(3)/84 | बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के संबंध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार विमर्श हुआ और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-<br><br>1- बैठक में यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष 84-85 में कुल 4,076·56 एकड़ भूमि अर्जित करने का लक्ष्य परिषद द्वारा निर्धारित किया गया था जिस के विरुद्ध 478·09 एकड़ भूमि अर्जित की गयी है। यह बताया गया कि धारा 7/17 के अन्तर्गत कब्जा तो परिषद को मिल जाता है किन्तु एवार्ड बनने तथा प्रतिकर वितरण में काफी समय लगता रहा है जिस के कारण कब्जा प्राप्त भूमि पर विकास तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में भूस्वामियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता रहा है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भूमि का कब्जा परिषद को उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनुमानित प्रतिकर की स्वीकृति एवं उसके 2/3 भाग के वितरण तथा तदोपरान्त एवार्ड की स्वीकृति को भी शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास चलता रहे जिससे कब्जा प्राप्त भूमि पर निर्माण एवं विकास कार्य करने में कठिनाई न हो ।<br><br>2- बैठक में बताया गया कि वर्ष 84-85 में परिषद द्वारा 768 एकड़ भूमि विकसित करने तथा 1500 एकड़ पर विकास कार्य प्रगति से रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । बैठक में बताया गया कि उक्त लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये निर्माण कार्य का त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। माह अगस्त 84 तक 582 भवन पूर्ण हो चुके हैं । 3577 भवन प्रगति पर हैं निर्णय लिया गया कि अगले त्रैमास में अधिकाधिक भवन पूर्ण करने का प्रयास किया जाय और जिन भवनों की नींव अभी नहीं पड़ पायी है नींव डालना सुनिश्चित किया जाये ताकि लक्ष्य के ~~सुनिश्चित किया~~ अनुरूप भवन का बनाना प्रारम्भ हो जायें ।<br><br>3- वर्ष 77-78 से 82-83 तक की बैलेंस शीट बनने के संबंध में प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी । निर्णय लिया गया कि पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार दिसम्बर, 84 तक इन्हें पूरा कराने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये । बैठक में बताया गया कि 77-78 की बैलेंसशीट का आडिट हो चुका है और 78-79 की बैलेंस शीट का आडिट चल रहा है निर्णय लिया गया कि 77-78 तथा 78-79 की बैलेंसशीट जो आडिट हो चुकी है उन्हें परिषद के अवलोकनार्थ अगली बैठक में रखा जाये और भविष्य में जैसे जैसे बैलेंसशीट तैयार होती जाय उन्हें आडिट के पूर्व ही परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाये । |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4- | महादेव झारखण्डे योजना, गोरखपुर के विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन का प्रस्ताव | पंचम/(4)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 5- | इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर 16 में प्रस्तावित भूखण्डों पर भवनों का निर्माण । | पंचम/(5)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 6- | हडको वित्त पोषित 4-आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के संबंध में । | पंचम/(6)/84 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की । |
| 7- | नेहरू नगर योजना सं0-1 के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग एल-4/79 प्रकार के 50 भवन तथा डब्लू-4/79 प्रकार के 48 भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन के संबंध में । | पंचम/(7)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 8- | निर्माण खण्ड तृतीय आगरा के कार्य स्थल से रु015712.10 पैसे मूल्य की सामग्री की कमी चोरी के फलस्वरूप हुई आर्थिक क्षति को बट्टे खाते में डालने के प्रसंग में । | पंचम/(8)/84 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की । |
| 9- | आवास आयुक्त के आदेश संख्या-1020/प्रशा0-एक-दिनांक 24-6-84 के विरुद्ध श्री एम.एम.अहमद सहायक अभियन्ता के पुनरावेदन दिनांक 30-8-83 तथा 6-5-84 की सुनवायी के प्रसंग में । | पंचम/(9)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से उप समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या में दिये गये तर्कों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अस्वीकार की गयी । उप समिति की आख्या परिषद के संकल्प का एक भाग माना जायेगा ।<br>यह भी निर्णय लिया गया कि अपीलों की सुनवाई हेतु जो उप समिति बनायी गयी है उसमें परिषद के सदस्य श्री राम पाल सिंह को भी सम्मिलित कर लिया जाये । |
| 10- | सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2, बदायू के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग 18/40 प्रकार के 150 अल्प आय वर्ग ~~88/*8*~~ 29-60 प्रकार के 77 तथा मध्यम आय वर्ग 53/127 प्रकार के भवन के निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव । | पंचम/(10)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 11- | इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर 19, 9, 12, एवं 21, में भवनों के निर्माण के संबंध में । | पंचम/(11)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 12- | सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों को किराया पद्धति पर भवनों का आवंटन किया जाना । | पंचम/(12)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।<br>यह भी निर्णय लिया गया कि सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों के ऊपर क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ताओं का भी प्रशासनिक नियंत्रण रहना चाहिये । |

कृ0प030

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | उक्त नियंत्रण हेतु आवास आयुक्त अपने स्तर से विस्तृत निर्देश प्रसारित करेंगे। |
| 13- | 1- रुद्रपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना रुद्रपुर में आ0आ0वि0 29/60 प्रकार के 6 तथा म0आ0व053/127 प्रकार के 56भवन।<br>2- इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में अ0आ0व020/60 प्रकार के 175 भवन।<br>3- महादेव नगर विस्तार योजना गोरखपुर में दु0आ0व018/40 प्रकार 176, अ0आ0व029/60 प्रकार के 125 तथा म0आ0व0 53/127 प्रकार के 21 भवनों निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव। | पंचम/(13)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 14- | टोंस रोघाट योजना आजमगढ़ के विकास कार्यों एवंम0आ0व0 के 53/127 प्रकार के 34 भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव। | पंचम/(14)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 15- | 1- अमरोहा भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना अमरोहा में दु0आ0व0/18/40प्रकार के 192 तथा अल्प आय वर्ग के 29/60 प्रकार के 101 भवन<br>2- चन्दौसी भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना चन्दौसी में दु0आ0 व0 18/40 प्रकार के 137 अ0आ0व0 29/60 प्रकार के 73 तथा म0आ0व053/127 प्रकार के 31 भवन।<br>3- बांदा भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना बांदा में दु0आ0व0 18/40 प्रकार के 137 म0आ0व0 53/127 प्रकार के 79 तथा उ0आ0व0 97/242 प्रकार के 7 भवन।<br>4- सिकन्दरा योजना आगरा सेक्टर-4 में म0आ0व053/127 प्रकार के 28 तथा अ0आ0व0 29/60 प्रकार के 156 भवन।<br>5- झूसी योजना सं0-2 इलाहाबाद में अ0आ0व0 29/60 प्रकार के 154, म0आ0व0 53/127 प्रकार के 52 उ0आ0व0 71/181 प्रकार के 57 तथा 97/242 प्रकार के 23 भवन। | पंचम/(15)/84 | परिषद के विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |

क0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6- | फतेहपुर भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना फतेहपुर में दु०आ०व० 18/40 प्रकार के 207 अ०आ०व० 29/60 प्रकार के 77 तथा म०आ०व० 53/127 प्रकार के 61 भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव । | | |
| 16- | जसवन्ती देवी योजना सं०-1 में 28 दुकानें 3 टायलेट तथा 3 स्टेयर केस तथा इन दुकानों के ऊपर दो कमरे के 17 आवासीय भवन ।<br>2- सिविल लाइन्स योजना सं०-4 बरेली में एक नग कामर्शियल काम्पलेक्स ।<br>3- सीतापुर भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना सं०-1 में म०आ०व० 3/79 प्रकार के 3 भवन अ०आ०व०एल-4/79 के 10 भवन म०आ०व० के 53/127 प्रकार के 16 भवन अ०आ०व०29/60 प्रकार के 43 भवन ।<br>4- राजाजीपुरम योजना लखनऊ में म०आ०व०53/127 प्रकार के 45 भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में । | पंचम/(16)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 17- | प्रतापगढ़ भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना सं०-1, प्रतापगढ़ | पंचम/(17)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण अध्यक्ष महोदय स्वयं करेंगे और अपनी संस्तुति परिषद की अगली बैठक में रखेंगे । अध्यक्ष महोदय की संस्तुति प्राप्त होने पर इस मामले को विचारार्थ परिषद में रखा जायेगा । |
| 18- | श्री आर०सी०सक्सेना, निलम्बित अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जाँच के प्रसंग में । | पंचम/(18)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री आर०सी०सक्सेना निलम्बित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका के निर्णय तक इस मामले को विचारार्थ स्थगित कर दिया जाये । |
| 19- | परिषद में क्वालिटी कन्ट्रोल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट के कार्य पर लगे हुये अभियन्ताओं को विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में । | पंचम/(19)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्यालय पर नियुक्त अभियन्ताओं तथा क्वालिटी कन्ट्रोल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट के कार्य पर लगे हुये अभियन्ताओं को विशेष वेतन/भत्ता दिये जाने के मामले की विस्तृत समीक्षा निम्नवत गठित उप समिति करेगी । उक्त समिति के संयोजक मुख्य अभियन्ता होंगे और सदस्यगण निम्न होंगे ।<br>1- श्री एस०के०शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम — सदस्य<br>2- श्री प्रेम नारायण, संयुक्त सचिव, वित्त (सचिव वित्त के प्रतिनिधि) — सदस्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | 3- श्री आर०के०सिंह, अपर महा निदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो — सदस्य<br><br>4- श्री साँऊ राम, संयुक्त सचिव आवास (आवास सचिव के प्रतिनिधि) — सदस्य<br><br>5- श्री मंगला प्रसाद मिश्र संयुक्त आवास आयुक्त एवं सचिव — सदस्य<br><br>यह समिति अभियंत्रण अनुभाग से सम्बन्धित अन्य इस प्रकार के प्रस्तावों पर भी विचार करेगी ।<br><br>उप समिति की संस्तुति परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ रखी जायेगी । |
| 20- | परिषद के कार्यप्रभारित कर्मचारियों का वर्गीकरण कर पुनरीक्षित वेतन मान को लागू किये जाने की तिथि तथा उस पर पुनर्विचार कर पुनः निर्धारण मास्टर रोल पर नियुक्त कर्मचारियों को कार्यप्रभारित कर्मचारी घोषित करने के संबंध में । | पंचम/(20)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि परिषद के पूर्व निर्णयानुसार समस्त कार्य-भारित कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 24-3-84 से ही दिया जाये ।<br><br>यह भी निर्णय लिया गया कि मास्टर रोल पर नियुक्त कर्मचारियों को कार्यप्रभारितों की श्रेणी में रखना उचित नहीं है । |
| 21- | परिषद के सेवा संवर्ग सम्पत्ति प्रबन्धक तथा सहायक आवास आयुक्त सेवा विनियम के स्वीकृत के संबंध में । | पंचम/(21)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 22- | नई आवासीय योजनाओं के संचालन हेतु आवास आयुक्त द्वारा धारा-28 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों की परिषद के विचारार्थ/सूचनार्थ सूची । | पंचम/(22)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 23- | उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन विनियम-1979 (यथा संशोधित जन-1984) के नियम 28(4) भुगतान हेतु विकल्प परिवर्तन शुल्क के संबंध में । | पंचम/(23)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 24- | स्व०श्री पुरुषोत्तम नाथ सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी इलाहाबाद को इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में प्रदिष्ट म०आ०व० भवन सं०-ए- 156 के विरुद्ध अवशेष को माफ़ी के सम्बन्ध में । | पंचम/(24)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उप--रान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्व०श्री पुरुषोत्तम नाथ, सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी इलाहाबाद को इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में प्रदिष्ट मध्यम आय वर्ग भवन सं०-ए- 156 के विरुद्ध देय धनराशि रू० 43,191=55 पैसे की आधी धनराशि माफ कर दी जाये शेष धनराशि उनके उत्तराधिकारियों से नियमानुसार वसूल की जाये ।<br><br>यह भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 74 में परिषद द्वारा किये गये नियमानुसार किसी अधिकारी/कर्मचारी की परिषद सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को परिषद की योजनाओं में भूखण्ड/भवन के आवंटन की जो व्यवस्था की गयी है उसे समाप्त कर दिया जाये । परिषद का उक्त निर्णय तदनुसार पुनरीक्षित माना जायेगा । |

कृ०प०उ०

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 33- | उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद व्यवसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण संबंधी नियम-16(1) में संशोधन | पंचम/(33)/84 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की । |
| 34- | परिषद में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले चतुर्थ श्रेणी पदों पर चयन हेतु वर्तमान सेवा विनियमों में शिथिलीकरण के संबंध में । | पंचम/(34)/84 | परिषद व्दारा विचारविमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 35- | श्री मो0शहाबुद्दीन फारोदी की सहायक श्रेणी-III पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य टंकण गति शिथिल करने के संबंध में । | पंचम/(35)/84 | परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । <br> यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में इस प्रकार की शिथिलता प्रदान करने के लिये विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अधिकृत कर दिया जाय । |
| 36- | उद्यान अनुभाग के लिये सहायक श्रेणी-3 के पद सृजित करने के संबंध में । | पंचम/(36)/84 | परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 37- | वास्तुकला नियोजन विभाग में बड़े-बड़े कार्य हेतु कुछ नये पदों की व्यवस्था । | पंचम/(37)/84 | परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 38- | मुख्य वास्तुविद नियोजक के लिये वाहन की व्यवस्था । | पंचम/(38)/84 | परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 39- | आवास परिषद की किच्छा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, किच्छा में समाविष्ट खसरा नं0 379 में स्थित बाग की भूमि को अर्जन मुक्त करने के संबंध में । | पंचम/(39)/84 | परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खसरा नं0 379 राजस्व अभिलेखों में स्थित मस्जिद किच्छा के नाम दर्ज भूमि अर्जन से मुक्त कर दी जाये । |
| 40- | कुर्सी रोड योजना लखनऊ के सेक्टर-2 में अनाधिकृत रूप से बसे हरिजन एवं दुर्बल आय वर्ग के परिवारों को हटाने के लिए परिषद व्दारा वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में । | पंचम/(40)/84 | परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । <br> यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यकतानुसार इन हरिजन एवं दुर्बल आय वर्ग के परिवारों को पंजीकरण की धनराशि से भी कुछ छूट दी जा सकती है । |
| 41- | परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति । | पंचम/(41)/84 | परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 42- | लखनऊ-रायबरेली रोड पर तेलीबाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 लखनऊ । | पंचम/(42)/84 | परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति की आख्या स्वीकृत करते हुये निर्णय लिया गया कि जिन भूखण्डों में धारा-28 के पूर्व और बाद में केवल बाउण्ड्री वाल का ही निर्माण हुआ है उन्हें अर्जन से मुक्त न किया जाये । |
| 43- | प्रदेश स्थित परिषद की योजनाओं में वर्ष-1984-85 में वृक्षारोपण प्रगति । | पंचम/(43)/84 | परिषद की योजनाओं में 84-85 में कराये गये वृक्षारोपण की जानकारी परिषद को करायी गयी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 44- | सहारनपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना सं0-1 देहरादून | पंचम/(44)/84 | परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित । |
| 45- | सहायक वास्तुविद नियोजक के पद हेतु शैक्षिक न्यूनतम अर्हताओं में संशोधन | पंचम/(45)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 46- | गुण नियंत्रण कोष्ठ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति हेतु परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी । | पंचम/(46)/84 | परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित । |
| 47- | हरिद्वार में श्रीमती प्रमिला रानी महेश्वरी को भूखण्ड प्रदेशन के संबंध में । | पंचम/(47)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 48- | आवास परिषद की नघेटा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हरदोई में समाविष्ट श्री डी0के0गोयल की भूमि खसरा संख्या 149 में स्थित कुल 180 वर्ग मीटर भूमि को अर्जन मुक्त करने के संबंध में । | पंचम/(48)/84 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की । |
| 49- | गुण नियंत्रण कोष्ठ में तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के स्रोतों के संबंध में | पंचम/(49)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |
| 50- | परिषद योजनाओं में नामकरण हेतु गठित समिति की संस्तुति पर विचार । | पंचम/(50)/84 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । |

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की अगली बैठक दिनांक 9-11-84 को परिषद मुख्यालय पर 10=30 बजे प्रातः होगी ।

पुष्टि की गयी

Dhang

अध्यक्ष